

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-1/विविध-40/2019/ 121

दिनांक 12.03.2019.

--आदेश--

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11 (7) एफ.डी/नियम/2008 दिनांक 12.09.2008, एफ. 14(88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ 15(1)एफडी/नियम 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग कार्मिकों का जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है -

क्र. सं.	कार्मिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री) व पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे बैंड एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल प्राप्त	देय ग्रेड-पे/पे-मैट्रिक्स लेवल
1	गजानन्द चौबीसा, नर्स प्रथम	डूंगरपुर	04.10.1989	04.10.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
2	मनसुखलाल मीणा, नर्स प्रथम	कोटा	26.07.1990	26.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
3	विजयम्मा अजमेरा, पीएन	उदयपुर	25.11.1985	25.11.2012 27 वर्ष	9300-34800	4800
4	अशोक कुमार, नर्स प्रथम	सिरोही	12.07.1990	12.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
5	सुनील दत्त महरिया, नर्स प्रथम	सीकर	13.08.1991	13.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
6	गुद्धाराम विश्वास, नर्स प्रथम	जालोर	05.09.1988	05.09.2015 27 वर्ष	15600-39100	6000
7	वाद मोहम्मद खान, नर्स प्रथम	सवाई माधोपुर	15.12.1990	15.12.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
8	बजरंग लाल पूनिया, नर्स प्रथम	सीकर	07.01.1991	07.01.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
9	राजकुमार शर्मा, नर्स प्रथम	सीकर	28.12.1990	28.12.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
10	वलसम्मा ई.वी., नर्स प्रथम	जयपुर	29.09.1988	18.10.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
11	चिन्दु शर्मा, नर्स प्रथम	श्रीगंगानगर	10.12.1990	10.12.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
12	शारदा निन्नामा, नर्स प्रथम	जयपुर	19.08.1991	19.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
13	गोरधन राम, नर्स प्रथम	जोधपुर	18.09.1989	18.09.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
14	रुपा कुमारी, नर्स प्रथम	झुंझुनू	05.04.1991	05.04.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
15	भारत सिंह सोढा, नर्स प्रथम	बीकानेर	19.09.1989	19.09.2016 27 वर्ष	15600-39100	6000
16	राजीव दत्त भार्गवा, नर्स प्रथम	झुंझुनू	22.12.1990	22.12.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
17	क्षेत्रेशकर कटार, नर्स प्रथम	डूंगरपुर	11.06.1996	11.06.2014 18 वर्ष	9300-34800	5400
18	भवानी सिंह, नर्स प्रथम	झुंझुनू	30.07.1990	30.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
19	सूर्यप्रकाश व्यास, नर्स प्रथम	पाली	01.07.1991	01.07.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
20	नीलम सिंह गहिरा, नर्स प्रथम	केशनगढ़ अजमेर	19.07.1990	19.07.2017 27 वर्ष	L-13	L-14
21	अजील अहमद खान, नर्स प्रथम	बून्दी	26.12.1990	26.12.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000

22.	कुसूम डोडियार, नर्स प्रथम	बासवाडा	03.06.1987	03.06.2014 27 वर्ष	15600-39100	6000
23.	भैरू लाल शर्मा, नर्स प्रथम	भीलवाडा	07.07.1990	07.07.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000
24.	देवा लाल मीणा, नर्स प्रथम	भीलवाडा	05.07.1991	05.07.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
25.	गंगा लट्टा, नर्स प्रथम	उदयपुर	16.08.1991	16.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
26.	मेरी जॉर्ज, नर्स प्रथम	उदयपुर	06.08.1991	06.08.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
27.	रामचन्द्र ढाका, नर्स प्रथम	बाडमेर	02.01.1991	02.01.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
28.	रतिना जेम्स, नर्स प्रथम	जोधपुर	29.11.1991	29.11.2018 27 वर्ष	L-13	L-14
29.	प्रताप सिंह वर्मा, पीएचएन	धौलपुर	23.06.1990	23.06.2017 27 वर्ष	15600-39100	6000

नोट- क्रम सं 10 पर अंकित बलसम्मा ई.वी., नर्स प्रथम को निदेशालय के आदेश क्रमांक 1071 दिनांक 10.08.2002 के द्वारा दिनांक 14.09.1996 से दिनांक 02.10.1998 तक 749 दिवस का अकार्य दिवस स्वीकृत किये जाने के कारण 27 वर्ष पर देय एसीपी का लाभ दिनांक 18.10.2017 से देय है।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि किसी कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी सतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके सबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा।

उक्त कार्मिकों का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

sd -
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक 20.03.2019

क्रमांक नर्सिंग/नर्स-1/विविध-40/2019/121

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निदेशक, कराबी योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
4. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी. मुख्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, सलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
11. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर